

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

बदायूं में मेरठ-बदायूं मार्ग एस0एच0-18 के किमी0 163.000 से 208.400 तक किमी0 चैनेज 162.000 से 207.400 तक 02 से 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 64.6 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 10647 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

Proposal संख्या-FP/UP/Others./23705/2017

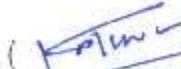
राज्य सरकार की सिफारिशें-वन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-69/14-2-2017-800(59)/2017, दिनांक 31-7-2017 के द्वारा प्रस्ताव पर संस्तुति रहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दिनांक :-

31/07/17

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर
(आसीब तिवारी)

विशेष सचिव

वन एवं पर्वत जीव विज्ञान
उ० प्र० शासन।